

# राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी

## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)  
(फोन नं. 0141-2225532, 222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)/2011/2141

दिनांक : 31.3.11

### आदेश

राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी जयपुर के अधीन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अनुबंध पर कार्यरत निम्न जिला सुपरवाइजरों (आईसीटीसी) के अनुबंध की अवधि, जो दिनांक 31.03.2011 को समाप्त हो रही है, को अब एक वर्ष अर्थात् दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बढ़ाई गई अवधि के लिए उन्हें इस कार्यालय द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादन करना अनिवार्य होगा:-

क्र.सं.	नाम जिला सुपरवाइजर	पदस्थापन स्थान	आदेश क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा पदस्थापित किया गया
01	डॉ. मनीष जोशी	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर	AIDS/Estt./Misc(65)/2009/2652 Date : 05-06-09
02	श्रीमती निधि कालरा (शर्मा)	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अजमेर	AIDS/Estt./Misc(65)/2009/2652 Date : 05-06-09
03	श्री सीमान्त राघव	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अलवर	AIDS/Estt./Misc(65)/2009/2913 Date : 29-06-09
04	श्री सीताराम परिहार	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), बाड़मेर	AIDS/Estt./Misc(65)/2009/3239 Date : 20-07-09

परियोजना निदेशक

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)/2011/2141

दिनांक : 31.3.11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (बेसिक सर्विसेज), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर/अजमेर/अलवर/बाड़मेर।
4. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर/अजमेर/अलवर/बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि वे पूर्व की भांति बढ़ाई गई अवधि का अनुबंध पत्र जो कि नोटेरी पब्लिक से सत्यापित हो, निष्पादन पश्चात् अपने कार्यालय रिकार्ड में रखें।
5. आदेश पत्रावली।

परियोजना निदेशक